संख्या- 2016/2022/नौ-9-2022-19ज/19टी0सी0

प्रेषक,

रंजन कुमार,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में ,

अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-9 **लखनऊ : दिनांक 11 अक्टूबर, 2022**

विषय: उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग, (DPIIT) भारत सरकार द्वारा प्रेषित व्यापार सुधार कार्ययोजना (BRAP) 2022 से संबन्धित संस्तुतियों को प्रदेश में क्रियान्वित किए जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि ईज आफ डूइंग बिजनेस के अन्तर्गत बिजनेस रिफार्म एक्शन प्लान 2020 के कार्य बिन्दु ट्रेड लाइसेन्स के नवीनीकरण के संबंध में शासनादेश सं0-2231/नौ-9-2020-19ज/2019टी0सी0, दिनांक-22.10.2020 निर्गत किया गया है, जिसके माध्यम से ट्रेड लाइसेन्स के नवीनीकरण की प्रक्रिया का निर्धारण कर सरलीकरण किया गया है।

2. उक्त शासनादेश के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में दिनांक 13.09.2022 को डी०पी०आई०आई०टी०, भारत सरकार द्वारा प्रेषित व्यापार सुधार कार्य योजना (बी०आर०ए०पी०) 2022 से संबन्धित संस्तुतियों को प्रदेश में क्रियान्वित किए जाने के संबंध में दिये गए निर्देशों के क्रम में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निम्नवत निर्णय लिये गये हैं :-

1. उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा-452 एवं उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 294 के अन्तर्गत अनुज्ञप्ति (लाइसेन्स) प्रदान करने का प्राविधान है। उक्त अनुज्ञप्ति अधिनियम में उल्लिखित मामलों के लिये अधिनियम 1959 की धारा-541 तथा अधिनियम 1916 की धारा-298 के अन्तर्गत बनायी गयी उपविधियों के अन्तर्गत शुल्क के भुगतान पर अनुज्ञप्ति प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने की व्यवस्था कतिपय निकायों द्वारा की गयी है।
2. श्रम विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश दुकान एवं प्रतिष्ठान रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1962 द्वारा निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदक द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर आटोजनरेटेड अनुमति निर्गत हो जायेगी। इस हेतु पृथक से ट्रेड लाइसेंस निर्गत करने की आवश्यकता नही है। उ0प्र0 व्यापार एवं वाणिज्य अधिनियम 1962 के अन्तर्गत पंजीकरण के आवेदन पत्र पर ट्रेड लाइसेंस की आवश्यक शर्तें भी जोड़ दी जायेंगी तथा आवेदक से उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम, 1959 तथा उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम,1916 के अन्तर्गत यथावश्यक शर्तों के संबंध में स्वघोषणा की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

जायेगी। उत्तर प्रदेश दुकान एवं प्रतिष्ठान रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1962 में रजिस्ट्रेशन को प्रदेश में व्यापार करने हेतु उपयुक्त माना जायेगा । आवेदक द्वारा स्व-घोषणा के माध्यम से किए गए आवेदन पर ही पोर्टल द्वारा अनुज्ञप्ति प्रमाण पत्र स्वत: जारी कर दिया जायेगा।

3. अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिये आवेदनकर्ता निवेश मित्र पोर्टल के URL https://niveshmitra.up.nic.in/ आवेदन पत्र प्रस्तुत करेंगा।

4. उत्तर प्रदेश दुकान एवं प्रतिष्ठान रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत पंजीयन में आवश्यक प्रमाण पत्र में यह उल्लेख किया जायेगा कि आवेदक को नियमानुसार स्थानीय निकायों को देय वार्षिक शुल्क प्रतिवर्ष पृथक से जमा करना होगा, परन्तु उक्त पंजीकरण प्रमाण पत्र स्वामित्व या व्यवसाय/व्यापार की प्रकृति में परिवर्तन तक ही लागू रहेगा। पंजीकरण उपरान्त प्रत्येक वर्ष वार्षिक शुल्क निकाय द्वारा निर्धारित दरों पर जमा कराना होगा। स्वामित्व या व्यवसाय/व्यापार की प्रकृति में परिवर्तन के मामले में, आवेदक को संशोधित प्रमाण पत्र निर्धारित प्रक्रियानुसार प्राप्त करना होगा।

5. निकायों द्वारा वार्षिक शुल्क लेने के लिए उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम, 1959 तथा उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम,1916 की व्यवस्थानुसार सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत शुल्क लिये जाने के लिए उपविधियां बनाने की कार्यवाही की जायेगी।

6. उक्त व्यवस्था लागू होने पर आवेदकों पर अतिरिक्त अनुपालन बोझ कम हो जाएगा एवं राज्य में व्यावसायिक गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जा सकेगा।

7. श्रम आयुक्त, उ0प्र0 द्वारा संबंधित साफ्टवेयर को ई-नगर सेवा साफ्टवेयर के साथ मैप/इन्टीग्रेट करा लिया जाये जिससे उक्त प्रक्रिया में कोई तकनीकी कठिनाई उत्पन्न होने की संभावना न रहे। उक्त के निमित्त तकनीकी कार्यों के लिए विस्तृत एस0ओ0पी0 (SOP) एन0आई0सी0 के सहयोग से निदेशालय द्वारा निर्गत की जायेगी। इस विषयगत प्रगति का नियमित रूप से निदेशालय स्तर से समीक्षा/अनुश्रवण किया जायेगा।

उपरोक्त के दृष्टिगत, डी०पी०आई०आई०टी०, भारत सरकार द्वारा प्रेषित व्यापार सुधार कार्य योजना (बी०आर०ए०पी०) 2022 में व्यापार लाइसेंस से संबन्धित संस्तुति को '**लागू नहीं - 1' श्रेणी** के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है।

कृपया तदनुसार अवगत होते हुये अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(रंजन कुमार)
सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या एवं दिनांक तदैव:-

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, श्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
3. निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
4. श्रम आयुक्त, उ0प्र0 कानपुर को इस आशय से प्रेषित कि श्रम विभाग द्वारा निर्गत विभिन्न शुल्क अनुसार, जिला स्तरीय अधिकारीगण को संबंधित निकाय के नामित नोडल अधिकारी से समन्वय कर शुल्क के निर्धारण में यथा आवश्यक सहयोग प्रदान करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
5. समस्त नगर आयुक्त/ समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 तथा उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम 1916 के प्राविधानों के अन्तर्गत श्रम विभाग से समन्वय कर उपविधिया बनाते हुये व्यापार की श्रेणी अनुसार शुल्क का निर्धारण तत्काल सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
6. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त कार्य में आवश्यक तकनीकी सहयोग नगरीय निकाय निदेशालय को प्रदान करने का कष्ट करें ।
7. श्री मोहन ठाकुर, मुख्य समन्वयक (आई0टी0) को इस आशय के साथ प्रेषित कि श्रम आयुक्त कार्यालय एवं एन0आई0सी0 के मध्य उक्त प्रक्रिया की एस0ओ0पी0 जारी कराने एवं ऑनलाइन पोर्टल पर कार्य सुनिश्चित कराने हेतु प्रभावी समन्वय करें।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(अखिलानन्द ब्रह्मचारी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।